03 नवंबर, 2016 को पूर्वाह्न 11 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 73वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 73.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।**"**

(i) ग्राम बेहरामपुर, गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : जी पी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस एण्ड इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर

लोकेशन : ग्राम बेहरामपुर, बँधवारी और बालोला, गुड़गांव, हरियाणा

विस्तार : विकासक को छ: विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 13 नवंबर, 2016 तक थी।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 14 नवंबर, 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (लाख रुपए में)
1.	भूमि की लागत	16725.00
2.	निर्माण की लागत	37275.00
3.	प्लांट एवं मशीनरी	--
4.	अन्य ऊपरी खर्च	--
	कुल	54000.00

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश:

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (लाख रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (लाख रुपए में)
1.	भूमि की लागत	16725.00	--
2.	सामग्री का प्रापण	7800.00	6600.00
3.	सेवा लागत	--	--
4.	अन्य ऊपरी खर्च	--	--
	कुल	24525.00	6600.00

(ग) **अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :**

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.	चरण 1 के भवन का ब्लॉक 1	13.8 प्रतिशत	13.8 प्रतिशत	दिसंबर, 2017
2.	चरण 1 के भवन का ब्लॉक 2	6.9 प्रतिशत	6.9 प्रतिशत	अप्रैल, 2018
3.	चारदीवारी	58.8 प्रतिशत	58.8 प्रतिशत	जून, 2017

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 73.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

- एसईजेड नियमावली के नियम 18 (1) के अनुसार, अनुमोदन समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकती है।
- एसईजेड में यूनिटों के संबंध में मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के मामले एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) द्वारा अभिशासित हैं।
- नियम 19 (4) यह कहता है कि एलओपी एक साल की अवधि के लिए वैध होगा। पहला परंतुक अधिक से अधिक दो साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरा परंतुक विकास आयुक्त को एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है, परंतु शर्त यह है कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
- तीसरे वर्ष के बाद (ऐसे मामलों में जहां दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं) तथा चौथे वर्ष के बाद वैधता अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा बढ़ाई जाती है।
- अनुमोदन बोर्ड एक बार में एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकता है।
- अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने की कोई समय सीमा नहीं है।

(i) 7 सितंबर, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बेंजो केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया :** 8 सितंबर 2011 को आईटीसी (एचएस) कोड (28-अजैविक रसायन, 29-जैविक रसायन और 31-उर्वरक) के अध्याय 28, 29 और 31 के तहत माल के निर्माण और निर्यात के लिए।

- **विस्तार :** 7 सितंबर 2016 तक 5 (पांच)

- **अनुरोध :** वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) यूनिट ने परियोजना पर 7.10 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया है।
(ii) पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश 0.86 करोड़ रुपए है।
(iii) यूनिट ने पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से 29 अक्टूबर 2015 को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की। इसके बाद यूनिट ने भूमि विकास का कार्य शुरू किया। मिट्टी की जांच का काम पूरा हो गया है। भूखंड की सफाई का काम चल रहा है तथा चारदीवारी के निर्माण के लिए आर्डर दिए गए हैं। वे एसईजेड परियोजना में लगभग 152 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहते हैं जिससे विस्थापित व्यक्तियों सहित लगभग 150 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन होगा।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने सूचित किया है कि उद्यमी / अनुमोदन धारक निम्नलिखित कारणों से एलओए की निर्धारित एवं बढ़ाई गई अवधि के अंदर परियोजना पूरी नहीं कर सका और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं कर सका :

(i) पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से 28 अक्टूबर 2015 को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हुई।
(ii) मिट्टी की जांच के आधार पर यूनिट को कारखाना भवन के संरचनात्मक भाग की डिजाइन फिर से तैयार करनी पड़ी।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ii) 21 नवंबर, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जेएस डिजाइनर लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया :** 22 नवंबर 2011 को महिलाओं एवं बच्चों के रेडीमेड गारमेंट का निर्माण एवं निर्यात करने के लिए।

- **विस्तार :** 21 नवंबर, 2011 तक 2 (दो)

- **अनुरोध :** 21 नवंबर 2017 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(क) **व्यवसाय योजना का ब्यौरा** :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	4.30
2.	निर्माण की लागत	0.50
3.	प्लांट एवं मशीनरी	0.75
4.	अन्य ऊपरी खर्च	0.50
	कुल	6.05

(ख) **अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश:**

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	4.30	0.13
2.	सामग्री का प्रापण	0.00	0.00
3.	सेवा लागत	0.00	0.00
4.	अन्य ऊपरी खर्च	0.00	0.00
	कुल	4.30	0.13

(ग) **अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण** :

क्र. सं.		आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.	सिविल वर्क पूरा हो गया है	10	10	3-4 माह

एलओए 21 नवंबर 2014 तक वैध था। अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए देर से प्रस्ताव भेजने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने 21 नवंबर, 2017 तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(iii) 30 सितंबर, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में स्टर्लिंग एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया :** गेलाटिन और डी-कैल्सियम फास्फेट के विनिर्माण के लिए 4 सितंबर 2009 को
- **विस्तार :** 30 सितंबर, 2016 तक 6 (छः)
- **अनुरोध :** वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

- डीटीए में यह यूनिट भारत में डी कैल्सियम फास्फेट की सबसे बड़ी विनिर्माता और निर्यातक है तथा विश्व में जिलेटिन के अग्रणी विनिर्माताओं में से एक है।
- यूनिट ने सूचित किया है कि गोमांस की बिक्री पर कुछ राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंध तथा कुछ राज्यों द्वारा बहुत कड़ाई से इसके अनुपालन के कारण वे वडोदरा जिले में स्थित अपने मौजूदा डीटीए प्लांट के लिए जिलेटिन का निर्माण करने के लिए अपना मुख्य कच्चा माल (यह कुल कच्चा माल का 97 प्रतिशत है) अर्थात एनिमल क्रश्ड बोन प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

(ii) अब तक किया गया निवेश : भूमि एवं अन्य अवसंरचना पर अलग अलग

- 31 अगस्त 2016 तक की स्थिति के अनुसार यूनिट ने विभिन्न गतिविधियों जैसे कि भूमि एवं अन्य अवसंरचना पर कुल 981.80 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भूमि विकास पर 64.84 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है तथा अन्य अवसंरचना पर 916.96 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(iii) पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

- 2015 में प्रदान किए गए पिछले विस्तार की तिथि से एसईजेड परियोजना में किया गया वृद्धिमूलक निवेश शून्य है। कच्चा माल अर्थात ऐनिमल क्रश्ड बोन के उपलब्ध न होने के कारण अग्रेतर गतिविधियां रुक गई हैं।

(iv) मात्रा की दृष्टि से अब तक भौतिक प्रगति का ब्यौरा :

- स्टोर एवं लैबोरेटरी भवन, यूटिलिटी भवन, आरओ प्लांट एरिया, कूलिंग टावर, टैंक फार्म एरिया, ए विंग के भवन का सिविल कार्य, एसीडुलेशन वैट, डीसीपी गोदाम, बोन हैंडलिंग एरिया, बी विंग का भवन, लाइमिंग वैट, लॉग (यूनिट ने 95 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है)
- लॉग वॉशर बिल्डिंग - 100 प्रतिशत
- लॉग वॉशर टैंक - 70 प्रतिशत
- सी विंग बिल्डिंग - 95 प्रतिशत
- ड्रायर बिल्डिंग - 95 प्रतिशत
- जिलेटिन हैंडलिंग एरिया - 95 प्रतिशत

- जिलेटिंग गोदाम - 95 प्रतिशत
- समानीकरण टैंक - 80 प्रतिशत
- अंतिम शोधित जल भंडारण (10000 घनमीटर) - 75 प्रतिशत

पिछली बार वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद कोई भौतिक प्रगति नही हुई है

विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(iv) 14 सितंबर 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हास कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो नागपुर (मिहान), जिला नागपुर, महाराष्ट्र में मिहान एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया :** 16 सितंबर, 2011 को आईटी / आईटीईएस के लिए
- **विस्तार :** 16 सितंबर, 2016 तक 2 (दो)
- **अनुरोध :** एक साल तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(क) प्रस्तावित निवेश

क्र. सं.	लागत का प्रकार	(लाख रुपए में)
1.	भूमि की लागत	172
2.	निर्माण की लागत	1048
3.	प्लांट एवं मशीनरी - आयातित एवं देशज दोनों	371
4.	अन्य ऊपरी खर्च	102
	कुल	1693

(ख) अब तक तथा पिछले 1 साल के दौरान किया गया निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (लाख रुपए में)	पिछले 1 साल के दौरान किया गया निवेश (लाख रुपए में)
1.	भूमि की लागत	172.10	--
2.	निर्माण एवं सामग्री प्रापण की लागत	314.28	300.72
3.	सेवा लागत	17.30	8.26
4.	अन्य ऊपरी खर्च	10.67	1.03
	कुल	514.35	310.01

(ग) पिछली बार वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद से भौतिक प्रगति :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	14 सितंबर, 2016 तक की स्थिति के अनुसार समाप्ति का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.	जनरेटर रूम / इलेक्ट्रिक सबस्टेशन / एफओ जनरेटर (एमएसईबी विद्युत में वृद्धि के लिए) / चिलर प्लांट / यूपीएस रूम / वितरण सबस्टेशन / एचएसडी यार्ड	शून्य	शून्य	अप्रैल, 2017
2.	स्ट्रीट लाइटिंग तथा दिशा सूचक संकेतकों के साथ आंतरिक सड़कें	शून्य	शून्य	जुलाई, 2017
3.	चारदीवारी / फाटक / फेंसिंग / सुरक्षा कार्यालय / सुरक्षा चौकी	100	50	जनवरी 2018 में पूर्ण
4.	सभी सिविल एवं इंटीरियर वर्क / इलेक्ट्रिकल वर्क / बीएमएस / एयर कंडिशनिंग / फायर प्रोटेक्शन सिस्टम	30	30	अप्रैल, 2017
5.	लैंडस्केपिंग / गार्डेन स्पेस का विकास	5	5	जुलाई, 2016
6.	कर्मचारियों की भर्ती	शून्य	शून्य	जून 2017
7.	भवन पूर्णता प्रमाण पत्र तथा कंपनी प्रमाण पत्र	शून्य	शून्य	जुलाई, 2017

विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(v) 5 फरवरी 2015 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सराफ एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड जो चतरपुर, गंजम, ओडिशा में मैसर्स सराफ एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया :** 17 अक्टूबर 2012 को खनिज आधारित उद्योग के लिए।
- **विस्तार :** विकास आयुक्त द्वारा एलओपी की वैधता अवधि 16 अक्टूबर, 2016 तक बढ़ाई गई।
- **अनुरोध :** वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(i) यूनिट ने सभी निर्माण कार्य पूरा कर लिया है तथा मशीनरी इंस्टाल कर ली गई है।
(ii) यूनिट प्लांट को चालू करने के लिए लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर चुकी है।
(iii) कोल्ड ट्रायल चल रहा है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के प्रावधानों के अनुसरण में छ: माह तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मद संख्या 73.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एटीएस सैवी डवलपर्स एलएलपी, अहमदाबाद का अनुरोध

105.4386 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स एटीएस सैवी डवलपर्स एलएलपी ने गिफ्ट एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में ब्लाक 15 में 400000 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्रफल में सेवाओं का निर्यात करने वाली यूनिटों के लिए कार्यालय भवन का विकास, अनुरक्षण एवं प्रचालन करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 2 अगस्त, 2016 उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा की अवधि 30 साल है जिसे 99 साल तक के लिए नवीकृत कराया जा सकता है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम ननक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स मंत्री डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स क्लासिक इनफोटेक एलएलपी का अनुरोध

1.0504 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स क्लासिक इनफोटेक एलएलपी ने आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना सुविधाएं जैसे कि इंटीरियर फिट आउट एवं सेवाएं, विद्युतीकरण, फायर फाइटिंग, स्थिर फ्रिक्वेंसी पर विद्युत की 24x7 अबाध आपूर्ति प्रदान करना, 100 प्रतिशत पावर बैकअप, विश्वसनीय डाटा कनेक्टिविटी, सेंट्रल एयरकंडिशनिंग सिस्टम (एचवीएसी) का विकास करने तथा पट्टाधारक की आवश्यकता के अनुसार मंत्री कॉसमास टावर 1 की अन्य अवसंरचना सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 30,115,190 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भूस्वामियों के साथ विकास करार के अनुसरण में विकासक ने सर्वे नंबर 130 (पी), ननक्रमगुडा, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद में 1,03,502.50 वर्गमीटर के वाणिज्यिक ब्लाक का निर्माण करके आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकास किया है।

विकासक ने सूचित किया है कि विकास करार के अनुसार विकासक ने भूस्वामियों को 30115190 वर्गमीटर का स्पेस आवंटित किया है जो बेयर शेल है। भूस्वामियों ने बेयर शेल को वार्म शेल में अपग्रेड करने, किराएदारों के साथ वार्ता करने के प्रयोजनार्थ अपने हिस्से के स्थान का प्रचालन एवं अनुरक्षण करने का निर्णय लिया है तथा सभी भूस्वामियों ने इस प्रयोजनार्थ "क्लासिक इनफोटेक एलएलपी" नामक एक एलएलपी का गठन किया है। सभी भूस्वामी जो एलएलपी का सदस्य बन गए हैं, सुधार / उन्नयन के अतिरिक्त कार्य के लिए लगभग 9

करोड़ रुपए (प्रत्येक) का निवेश करने के लिए सहमत हो गए हैं जो 22 जून 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक में अनुमोदित हो चुके हैं।

अब विकासक ने सूचित किया है कि किराएदार (यूनिट) ने उक्त परिसरों के लिए कुछ अतिरिक्त सुधार / स्तरोन्नयन के कार्यों का सुझाव दिया है। विकास करार के अनुसार विकासक ने भूस्वामियों को 30115.190 वर्गमीटर का स्पेस आवंटित किया है। भूस्वामियों ने "क्लासिक इनफोटेक एलएलपी" के नाम से एक एलएलपी का गठन किया है। मैसर्स क्लासिक इनफोटेक एलएलपी ने विकासक के साथ सह विकासक करार किया है। उन्होंने एलएलपी के पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा ज्ञापन की प्रति प्रस्तुत की है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 1 जून, 2016 उपलब्ध कराया गया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 2, हिंजेवाड़ी, पुणे में सह विकासक के रूप में मैसर्स सीबी ग्लोबल आईटी पार्क एंड इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

5,827 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

22 जून, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया।

अब विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने बताया है कि मैसर्स कोरिव इनफो सोल्यूशंस यूनिट के रूप में परियोजना को लागू करने में असफल रहा है तथा विकास के लिए क्षेत्रफल भी मात्र 5827 वर्गमीटर है। इसके अलावा सह विकासक होने पर वे परियोजना को लागू करने के लिए असीमित अवधि प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मैसर्स जेके बिल्डर्स के मामले में 12 अगस्त 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 72वीं बैठक में लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मैसर्स सीबी ग्लोबल आईटी पार्क एंड इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड के 5827 वर्गमीटर के अधिसूचित क्षेत्र में आईटी / आईटीईएस भवन का निर्माण करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भूमि की लागत सहित प्रक्षेपित निवेश 28.56 करोड़ रुपए है। पूंजी अंशदान तथा मियादी ऋण सहित कुल वित्त पोषण 23 करोड़ रुपए है। 5 वर्ष की अवधि के दौरान अनुमानत: 2048 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन किया जाएगा।

मैसर्स सीबी ग्लोबल आईटी पार्क एंड इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स कोरिव इनफो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से भूमि का अधिग्रहण किया है जिसके पास एलओए था जिसकी अवधि 10 अक्टूबर 2013 को समाप्त हो गई तथा बढ़ाई नहीं गई। मैसर्स सीबी ग्लोबल आईटी पार्क एंड इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स कोरिव इनफो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड समान ग्रुप (कोर्डिया ग्रुप) की कंपनी हैं। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने विकासक अर्थात एमआईडीसी से यह स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहा था कि आवेदक अर्थात मैसर्स सीबी ग्लोबल आईटी पार्क एंड इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए सह विकासक के रूप में काम करने के पैरामीटरों को कैसे पूरा करेगा क्योंकि समान ग्रुप समान प्लाट पर यूनिट स्थापित नहीं कर

सकता है। एमआईडीसी ने सूचित किया है कि अधिकृत प्रचालनों के कार्यान्वयन के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव व्यवहार्य है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड की सिफारिशें : विकास आयुक्त ने बताया है कि मैसर्स कोरिव इनफो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड परियोजना को लागू नहीं कर सका तथा उसे तीसरा विस्तार प्रदान नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने एसईजेड नियमावली 2006 के अनुसार निर्धारित अवधि के अंदर प्लाट पर कब्जा लेने के बाद कोई काम नहीं किया था। अब उसी ग्रुप ने सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है तथा प्रस्ताव की जांच करने पर सह विकासक के रूप में उनके प्रत्यय पत्रों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(iv) ग्राम साईं, तालुक पनवेल, महाराष्ट्र में मैसर्स अर्शिया लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अर्शिया रेल साइडिंग एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

57.045 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स अर्शिया रेल साइडिंग एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अर्शिया लिमिटेड की पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो अवसंरचना आधारित लाजिस्टिक पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है जिसमें एफटीडब्ल्यूजेड का विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने अर्शिया लिमिटेड में 6 माल गोदामों के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था।

विकासक के साथ किया गया प्रारूप सह विकासक करार उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा विलेख उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 30 साल है।

एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (11) के अनुसार, कोई व्यक्ति या कोई राज्य सरकार जिसका इरादा उप धारा 2 से 4 में उल्लिखित चिह्नित क्षेत्र में कोई अवसंरचना सुविधा प्रदान करने या कोई अधिकृत प्रचालन संचालित करने का है, उप धारा 10 में संदर्भित विकासक के साथ करार करने के बाद इसके लिए बोर्ड के पास उसके अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है / सकती है तथा ऐसे व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा किए गए उक्त प्रस्ताव पर यथास्थिति उप धारा 5 और उप धारा 7 से 10 के प्रावधान लागू होंगे।

विकास आयुक्त, एसईईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए **7,456.71 वर्गफीट (431.572 वर्गमीटर) के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए मैसर्स ब्रिगेड (गुजरात) प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

105.4386 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स ब्रिगेड (गुजरात) प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को गिफ्ट एसईजेड के अंदर 260000 वर्गफीट (24155 वर्गमीटर) के क्षेत्रफल में कार्यालय भवन के निर्माण एवं विकास के लिए 12 अगस्त 2016 को आयोजित 72वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया है।

अब सह विकासक ने 7,456.71 वर्गफीट (431.572 वर्गमीटर) के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए अनुरोध किया है।

सह विकासक ने पूरक सह विकासक करार दिनांक 27 जुलाई 2016 के साथ सह विकासक करार दिनांक 29 जनवरी 2016 किया है जिसमें विकासक अर्थात मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड की गिफ्ट विकास समिति द्वारा प्रस्तावित भवन के अंतिम अनुमोदित प्लान में वृद्धि के कारण 7,456.71 वर्गफीट के अतिरिक्त क्षेत्रफल के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया गया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 73.4 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) कोल्थुर गांव, शमीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 11.473 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी एवं बायो फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स वैक्सेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स वैक्सेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	कोल्थुर गाँव, शमीरपेट मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	जैव प्रौद्योगिकी और जैव फार्मास्यूटिकल्स	11.473	हां	हां	नया

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) सर्वे नंबर 115/35, नानक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 2.02 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट	सर्वे नंबर 115/35, नानक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला,	आईटी / आईटीईएस	2.02	हां*	नहीं	नया

	लिमिटेड	तेलंगाना					

*एसईजेड के विकास के लिए फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम फिनिक्स एंबेसी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड था) और भूस्वामी, न्यूलैंड लैबोरेटरी लिमिटेड के बीच संयुक्त विकास करार किया गया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने तेलंगाना सरकार की सिफारिश के अधीन अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) सर्वे नंबर 203 भाग, माणिकोंडा जागीर गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 2.02 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड	सर्वे नंबर 203 भाग, माणिकोंडा जागीर गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस	2.02	हां*	नहीं	नया

*एसईजेड के विकास के लिए फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम फिनिक्स एंबेसी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड था) और भूस्वामी, एथेना ग्लोबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम वीजेआईएल कंसल्टिंग लिमिटेड था) के बीच संयुक्त विकास करार किया गया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने तेलंगाना सरकार की सिफारिश के अधीन अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) क्रमांक 72, ग्राम खराडी, पुणे, महाराष्ट्र में 4.86 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इयॉन खराडी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स इयॉन खराडी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	क्रमांक 72, ग्राम खराडी, पुणे	आईटी / आईटीईएस	4.86	हां	हां (2 जुलाई 2016)	नया

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) सर्वे नंबर 89 (**पी**), **कोकपेट गांव**, **सेरिलिंगमपल्ली मंडल**, **तेलंगाना में** 1.66 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जीएआर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स जीएआर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	सर्वे नंबर 89 (पी), कोकपेट गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस	1.66	हां	हां (2 अगस्त, 2016)	नया

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi)) सर्वे नंबर 21 (**पी**), **सर्वे नंबर** 22 (**पी**), 23 **और** 24, **कोकपेट गांव**, **सेरिलिंगमपल्ली मंडल**, **तेलंगाना में** 2.56 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जीएआर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स जीएआर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	सर्वे नंबर 21 (पी), सर्वे नंबर 22 (पी), 23 और 24, कोकपेट गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस	2.56	हां	हां (2 अगस्त, 2016)	नया

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) खराडी, **जिला पुणे**, **महाराष्ट्र में 4.03 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए संयुक्त रूप से क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स केआरसी इनफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स गेरा डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स केआरसी	सर्वे नंबर 65,	आईटी /	4.03 (1.37 हेक्टेयर	हां	हां	22 जून 2016

	इनफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त विकासक मैसर्स गेरा डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड)	ग्राम खराडी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र	आईटीईएस	केआरसी केआरसी इनफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास और 2.66 हेक्टेयर गेरा डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास)			को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था (विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने प्रस्ताव को वापस ले लिया है)

तथापि, एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (1) में निम्नानुसार प्रावधान है :

'इस अधिनियम के तहत माल के विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने या दोनों के लिए मुक्त व्यापार एवं मालगोदाम क्षेत्र के रूप में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अकेले एसईजेड की स्थापना की जा सकती है।"

इसके अलावा एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (10) के परंतुक में निम्नानुसार प्रावधान है :

"उप धारा 9 के खंड (क) या खंड (ख) के तहत संचार प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार ऐसी अवधि के अंदर जो निर्धारित की जा सकती है, विकासक जो संबंधित व्यक्ति या राज्य सरकार हो सकता है, को ऐसी शर्तों एवं नियमों तथा बाध्यताओं एवं पात्रताओं पर मंजूरी पत्र जारी कर सकती है, जो अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं। परंतु यह कि केन्द्र सरकार अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर ऐसे मामलों में विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक से अधिक विकासक के लिए मंजूरी प्रदान कर सकती है जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक विकासक के कब्जे में यथानिर्धारित न्यूनतम संस्पर्शी भूमि नहीं है तथा ऐसे मामलों में प्रत्येक विकासक को उसके कब्जे के अधीन भूमि के संबंध में विकासक समझा जाएगा।"

विकास आयुक्त की सिफारिश : बताया गया है कि एसईजेड को संयुक्त रूप से विकसित करने का प्रस्ताव पहली बार आया है तथापि, इस संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं है कि यह कैसे क्रियाशील होगा। अत: अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

22 जून 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने सूचित किया कि विकासक ने प्रस्ताव वापस ले लिया है।

प्रस्तावित एसईजेड दो विकासकों अर्थात मैसर्स केआरसी इनफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स गेरा डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा।

संयुक्त विकासकों का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 73.5 : विविध मामले

(i) अनुदेश संख्या 47 **तथा नियम** 45 (1) **के अनुसरण में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कोगटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो सी**-8/2, **गांव मुसलगांव एवं गुलवंच**, **तालुक सिन्नार**, **नासिक में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की यूनिट है**, **का अनुरोध**

मैसर्स कोगटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने विभिन्न दालों जो आईटीसी (एचएस) कोड के अनुसार निषिद्ध मदें हैं, के निर्माण तथा निर्यात एवं आयात के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में एक नई यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

अब मैसर्स कोगटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने मटर (पिसूम सतवुम), छोले (गार्बंजोस), विगना प्रजाति के बींस (मुंगो/हेपर या विगमा रैडियाटा विल्जेक), स्माल रेड बींस, किडनी बींस तथा हार्स बींस, मूंग, तूर (अहहर), उड़द तथा स्पिल्ट आदि के निर्माण के लिए अनुरोध किया है।

(वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के अनुसरण में प्रस्ताव 18 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 43वीं बैठक में रखा गया था, जिसमें यह उल्लेख है कि आईटीसी (एचएस) कोड के अनुसार निर्यात के लिए निषिद्ध मदों का आयात एवं निर्यात अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से अनुमत है। अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी कि सभी दालों का आयात भारत से बाहर से किया जाएगा तथा विदेश व्यापार नीति में निर्यात पर निषेध लागू रहने तक डीटीए से कोई प्रापण नहीं किया जाएगा)।

विकास आयुक्त, एसईईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) कांडला और टूना क्षेत्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए एलओए के धारक मैसर्स कांडला पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) का क्षेत्र में कटौती के लिए अनुरोध

5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 7 मई, 2007 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक ने 1000 हेक्टेयर भूमि को कम करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर हो जाएगा। इसलिए विकासक ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ मामले को संदर्भित करने का अनुरोध किया है।

विकासक ने सूचित किया है कि सीआरजेड के अंतर्गत आने वाले कांडला में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाने की योजना है। कैप्टिव खपत तथा डीटीए को अतिरिक्त विद्युत के निर्यात दोनों के लिए सीआरजेड अधिसूचना 2011 के अनुसार, गैर परंपरागत ऊर्जा जैसे कि पवन एवं सौर ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं अनुमत गतिविधियां हैं।

केपीटी ने 6 अप्रैल 2015 को एक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से लगभग 25 कंपनियों ने भाग लिया था। निवेशक सम्मेलन तथा ईओआई से प्राप्त फीडबैक के अनुसार डीटीए में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने को वरीयता दी गई है क्योंकि परियोजना से विद्युत उत्पादन क्षमता कैप्टिव खपत से अधिक होगी तथा डीटीए क्षेत्र में उसका रिक्तीकरण करने की आवश्यकता होगी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए केपीटी ने डीटीए के रूप में तथा एसईजेड अधिनियम 2005 के दायरे से बाहर 1000 हेक्टेयर में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का विकास करने का प्रस्ताव किया है। तद्नुसार केपीटी के भूमि प्रयोग प्लान

2010 को संशोधित किया गया तथा 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के लिए आरक्षित किया गया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) फाल्टा एसईजेड से वीएसईजेड में यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल का अनुरोध

फाल्टा एसईजेड में सभी प्रकार के रिप्रोसेस्ड गारमेंट / प्रयुक्त कपड़ों / गौण वस्त्र सामग्रियों / क्लिपिंग / रैग / औद्योगिक वाइपर / शूडी वूल / यार्न / ब्लैंकेट / शॉल तथा रिसाइकल करने के योग्य अन्य वस्त्र सामग्रियों की विनिर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए यूनिट को **2** मई **2000** को एलओपी प्रदान किया गया था।

अब यूनिट ने फाल्टा एसईजेड से वीएसईजेड में यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध किया है।

(i) कोलकाता में कुशल मजदूरों का उपलब्ध न होना
(ii) बेहतर व्यवसाय विकास
(iii) विजाग क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में कुशल मजदूरों की उपलब्धता।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के फलस्वरूप नाम बदलकर मैसर्स रेडनी इंडिया ओएस प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स ओर्गा सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 16 मई, 2011 को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओए 15 मई, 2021 तक वैध है।

यूनिट अर्थात मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर होल्डिंग के अपने पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

(क) शेयरों के अंतरण से पूर्व :

शेयर धारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का प्रतिशत
ओर्गा सिस्टम्स जीएमबीएच	3399164	98.7 प्रतिशत
ओर्गा सिस्टम्स होल्डिंग जीएमबीएच	35513	1.3 प्रतिशत
कुल	3434677	100 प्रतिशत

(ख) नाम में परिवर्तन के बाद :

शेयर धारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का प्रतिशत
रेडनी जर्मनी (ओएस) जीएमबीएच	3399164	98.7 प्रतिशत
रेडनी जर्मनी (ओएस) जीएमबीएच	35513	1.3 प्रतिशत
कुल	3434677	100 प्रतिशत

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) फर्म के साझेदारों के नाम तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स कोर्डिया ब्रदर्स जो प्लाट नंबर एफ-20, **एसईजेड** 2, **सीतापुर**, **जयपुर की यूनिट है**, **का अनुरोध**

उपर्युक्त यूनिट को 08 अप्रैल, 2005 को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओए 08 अगस्त, 2019 तक वैध है।

यूनिट ने साझेदारों में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा यह भी सूचित किया है कि 26 जनवरी 2016 से फर्म की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन हो गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

साझेदारों का नाम	यूनिट के अनुमोदन के समय शेयर होल्डिंग	साझेदारी में परिवर्तन के बाद संशोधित शेयर होल्डिंग
श्री अशोक कुमार जैन	40 प्रतिशत	1 प्रतिशत
श्री अनिल कुमार कोर्डिया	15 प्रतिशत	--
श्री संपत कुमार कोर्डिया	30 प्रतिशत	--
श्री अभय कोर्डिया	5 प्रतिशत	99 प्रतिशत
श्री अक्षय कोर्डिया	5 प्रतिशत	--
श्री विकास कोर्डिया	5 प्रतिशत	--

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड

यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 90 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) फर्म में 60 **प्रतिशत शेयर होल्डिंग के साथ साझेदार को शामिल करने के लिए मैसर्स आर्टीसियन साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एलएलपी जो मोहाली, पंजाब में मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध**

उपर्युक्त यूनिट को 29 अक्टूबर, 2012 को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओए 19 दिसंबर, 2017 तक वैध है।

यूनिट ने 1 अक्टूबर 2015 से फर्म में 60 प्रतिशत शेयर होल्डिंग के साथ श्री अमित शर्मा नामक एक नया निदेशक शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

शेयर धारक का नाम	साझेदार के समावेशन में परिवर्तन से पूर्व शेयर होल्डिंग (शेयरों की संख्या)	साझेदार के समावेशन में परिवर्तन के बाद शेयर होल्डिंग (शेयरों की संख्या)
सुश्री प्रिया शर्मा	70 प्रतिशत	10 प्रतिशत
श्री सुमित शर्मा	30 प्रतिशत	30 प्रतिशत
श्री अमित शर्मा	--	60 प्रतिशत

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने

वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 60 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड को सभी अधिकृत प्रचालनों, परिसंपत्तियों एवं देयताओं सहित सह विकासक का एलओए हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड को न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 16 सितंबर 2013 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था।

अब सह विकासक ने सह विकासक के लिए अपने अनुमोदन (जिसमें डीयूएल से विद्युत, अनुरक्षण एवं व्यवसाय सहायता सेवाओं से संबंधित सभी परिसंपत्तियां एवं देयताएं शामिल हैं) को मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड (डीपीएसएल) जो सहगण सहायक कंपनी है, को स्लंप बिक्री के माध्यम से सतत सरोकार आधार पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से अधिकृत प्रचालनों के लिए कंपनी की आईटी / आईटीईएस से संबंधित गतिविधियों को अचूक ढंग से संचालित एवं अनुरक्षित करने के लिए हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया है। सह विकासक का दर्जा मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड से मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड को हस्तांतरित करने की अन्य शर्तों एवं नियमों को एमओए के अनुसार शामिल किया गया है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(viii) सहगण सहायक कंपनी को सभी अधिकृत प्रचालनों, परिसंपत्तियों एवं देयताओं सहित सह विकासक के एलओए को हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स डीएलफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

मंत्रालय द्वारा मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था। तद्नुसार विकासक के रूप में डीएलफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड तथा दो सह विकासकों अर्थात डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड और डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1 मई 2008 को सह विकासक करार किया गया जिसे समय समय पर संशोधित किया गया।

सह विकासक को एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के रूप में अवसंरचना सुविधाएं जैसे कि विद्युत, चिल्ड वाटर, भवन प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा व्यवसाय सहायता सेवाएं (इसके बाद यहां आगे विद्युत, अनुरक्षण एवं

व्यवसाय सहायता सेवाएं कहा गया है) प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है जो वाणिज्य विभाग द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित है।

अब सह विकासक ने सह विकासक के लिए अपने अनुमोदन (जिसमें डीयूएल से विद्युत, अनुरक्षण एवं व्यवसाय सहायता सेवाओं से संबंधित सभी परिसंपत्तियां एवं देयताएं शामिल हैं) को मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड (डीपीएसएल) जो सहगण सहायक कंपनी है, को स्लंप बिक्री के माध्यम से सतत सरोकार आधार पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से अधिकृत प्रचालनों के लिए कंपनी की आईटी / आईटीईएस से संबंधित गतिविधियों को अचूक ढंग से संचालित एवं अनुरक्षित करने के लिए हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया है। सह विकासक का दर्जा मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड से मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड को हस्तांतरित करने की अन्य शर्तों एवं नियमों को एमओए के अनुसार शामिल किया गया है।

डीएलएफ, कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड (विकासक), डीएपीएल तथा डीपीएसएल सहित उनकी कंपनी के निदेशक मंडल ने व्यवसाय अंतरण करार (बीटीए) की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अनुमोदन / सहमति प्रदान की है। तद्नुसार 16 सितंबर 2016 को डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड तथा डीएलएफ पावर एवं सर्विसेज लिमिटेड जो डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड की सहगण सहायक कंपनी है, के बीच बीटीए करार किया गया।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ix) व्यवसाय अंतरण करार के तहत स्लंप सेल के अनुसरण में सहगण सहायक कंपनी मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड को एलओए का हस्तांतरण करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो सेक्टर 24 **एवं** 25 **से**, **डीएलएफ फेज** 3, **गुड़गांव**, **हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवपलर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है**, **का अनुरोध**

उपर्युक्त सह विकासक को एसईजेड में गैस टर्बाइन आधारित विद्युत उत्पादन सेट स्थापित एवं संचालित करने के लिए एक सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए 20 अगस्त 2009 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था। सह विकासक ने विकासक के रूप में डीएलएफ साइबर सिटी डवपलर्स लिमिटेड (डीसीसीडीएल) तथा दूसरे सह विकासक डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड (डीएपीएल) के साथ 16 अप्रैल 2008 को सह विकासक करार किया है।

कंपनी निदेशक मंडल के अनुसार सह विकासक ने विद्युत, अनुरक्षण तथा व्यवसाय सहायता सेवा से संबंधित सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं सहित सह विकासक का अनुमोदन डीएलफ यूटिलिटीज लिमिटेड से डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया है।

डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड, डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड और डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड सहित कंपनी के निदेशक मंडल ने व्यवसाय अंतरण करार (बीटीए) के लिए और इस संबंध में अनुमोदन बोर्ड से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुमोदन / सहमति प्रदान की है।

23 फरवरी 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे

जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(x) व्यवसाय अंतरण करार के तहत स्लंप सेल के अनुसरण में सहगण सहायक कंपनी मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड को एलओए का हस्तांतरण करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो ग्राम सिलोखेड़ा, सेक्टर 30, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

उपर्युक्त सह विकासक को एसईजेड में गैस टर्बाइन आधारित विद्युत उत्पादन सेट स्थापित एवं संचालित करने के लिए 60 मेगावाट की क्षमता का सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए 17 जून 2008 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था। सह विकासक को वाणिज्य विभाग द्वारा पत्र दिनांक 16 सितंबर 2013 के माध्यम से अतिरिक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई है जो इस प्रकार हैं (1) एसईजेड भवन का विकास और / या प्रचालन एवं अनुरक्षण (2) विद्युत एवं यांत्रिक कार्य सहित इंजीनियरिंग अनुरक्षण, हीटिंग, वेंटिलेशन एवं एयरकंडिशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम, फायर डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम, जलापूर्ति, स्टार्म ड्रेनेज एवं सीवेज निस्तारण, लिफ्ट लॉबी कनफ्रेंस हॉल, पार्किंग एरिया, यूटिलिटीज एरिया का अनुरक्षण सहित भवन रखरखाव सेवा, कचरा एवं स्क्रैप निस्तारण, बागवानी, पेस्ट कंट्रोल, फैकेड की सफाई, (3) सुरक्षा सेवाएं तथा फायर एवं लाइफ सेफ्टी के उपाय।

85 करोड़ रुपए के एकमुश्त वित्तीय प्रतिफल के लिए खंड 3.1 के अनुसार मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड और मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड के बीच 16 सितंबर 2016 को व्यवसाय अंतरण करार (बीटीए) पर हस्ताक्षर किए गए।

23 फरवरी 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xi) मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड (डीपीएसएल) को सह विकासक का एलओए हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड (डीयूएल) जो रामापुरम, चेन्नई में मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड को शुरू में 40 मेगावाट क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए 17 जून 2008 को आईटी / आईटीईएस के लिए रामापुरम, चेन्नई में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके बाद 27 अक्टूबर 2008 को इसे संशोधित करके 84 मेगावाट किया गया।

उनको प्रसंस्करण क्षेत्र में अतिरिक्त अधिकृत प्रचालनों अर्थात एसईजेड भवनों के विकास और/या प्रचालन एवं अनुरक्षण; विद्युत एवं यांत्रिक कार्य सहित इंजीनियरिंग अनुरक्षण, एचवीएसी सिस्टम आदि; सुरक्षा सेवाओं और एसईजेड में फायर एवं लाइट सेफ्टी के उपायों को शामिल करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।

19 मई 2016 को आयोजित बैठक में मैसर्स डीयूएल के निदेशक मंडल ने न्यूनतम 75 करोड़ रुपए के एकमुश्त प्रतिफल तथा कार्यकारी पूंजी के समायोजन के लिए व्यवसाय अंतरण करार (बीटीए) के तहत स्लंप सेल आधार पर मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड जो उनकी सहगण सहायक कंपनी है, को अपने संपूर्ण व्यवसाय की बिक्री / हस्तांतरण / निस्तारण करने के लिए सहमति प्रदान की तथा मैसर्स डीपीएसएल ने स्लंप सेल के आधार पर सरकारी / विनियामक प्राधिकरणों से सभी परिसंपत्तियों, देयताओं, ऋणों, अनुमोदन, संस्वीकृतियों, लाइसेंसों, अनुज्ञप्तियों आदि जिसमें डीएलएफ एसईजेड, चेन्नई में उनका सह विकासक का दर्जा शामिल है, के साथ मैसर्स डीयूएल से विद्युत एवं अनुरक्षण के संपूर्ण व्यवसाय का अधिग्रहण / क्रय करने के लिए 20 मई 2016 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में संकल्प पारित किया।

दोनों कंपनियों अर्थात मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड और मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड (डीपीएसएल) ने 16 सितंबर 2016 को व्यवसाय अंतरण करार (बीटीए) किया।

विकास आयुक्त, एमईपीजेडजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है / अग्रेषित किया है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xii) अतिरिक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो राचेनहल्ली एवं नगवारा गांव, होबली, आउटर रिंग रोड, जिला बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

26.2017 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड में अन्य अवसंरचना सुविधाओं के लिए सह विकासक है।

अब सह विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में अतिरिक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	एसईजेड के संपूर्ण क्षेत्रफल में निर्मित किए जाने वाले भवनों तथा अन्य अवसंरचना / सुविधाओं का प्रचालन एवं अनुरक्षण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	विद्युत एवं यांत्रिक कार्य सहित इंजीनियरिंग अनुरक्षण; हीटिंग, वेंटिलेशन तथा एयरकंडिशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम; फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, जलापूर्ति, स्टार्म ड्रेनेज तथा सीवेज निस्तारण, लिफ्ट, लॉबी, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग एरिया, यूटिलिटी एरिया का अनुरक्षण सहित भवन रख रखाव की सेवाएं, कचरा एवं स्क्रैप निस्तारण, बागवानी, पेस्ट कंट्रोल, फैकेड की सफाई सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	सुरक्षा सेवाएं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	फायर तथा लाइफ सेफ्टी के उपाय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	बैकअप पावर का उत्पादन एवं वितरण तथा चिल्ड वाटर की आपूर्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के के विचारार्थ प्रस्तुत है।

एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (11) के अनुसार, कोई व्यक्ति या कोई राज्य सरकार जिसका इरादा उप धारा 2 से 4 में उल्लिखित चिह्नित क्षेत्र में कोई अवसंरचना सुविधा प्रदान करने या कोई अधिकृत प्रचालन संचालित करने का है, उप धारा 10 में संदर्भित विकासक के साथ करार करने के बाद इसके लिए बोर्ड के पास उसके अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है / सकती है तथा ऐसे व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा किए गए उक्त प्रस्ताव पर यथास्थिति उप धारा 5 और उप धारा 7 से 10 के प्रावधान लागू होंगे।

(xiii) कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो पेरुंगलाथूर, चेन्नई में आईटी / आईटीईएस के लिए विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

15.06.51 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है तथा 26 नवंबर 2007 से क्रियाशील है। एसईजेड में 19 यूनिटें हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 1451 करोड़ रुपए का निर्यात किया था।

अब विकासक ने शेयर होल्डिंग के मौजूदा पैटर्न तथा शेयर होल्डिंग के प्रस्तावित पैटर्न का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है :

शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न :

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1.	श्रीराम प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	2,95,76,161	50 प्रतिशत
2.	एसयूएन - अपोलो इनवेस्टमेंट होल्डिंग इंडिया एलएलसी	2,95,76,161	50 प्रतिशत

शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न :

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1.	असेंडास प्रापर्टी फंड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	2,95,76,161	50 प्रतिशत
2.	एसयूएन - अपोलो इनवेस्टमेंट होल्डिंग इंडिया एलएलसी	2,95,76,161	50 प्रतिशत

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xiv) कंपनी के साझेदारों तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स सुपर जेम्स जो प्लाट नंबर एच-119, **एसईजेड** 2, **सीतापुर**, **जयपुर की यूनिट है**, **का अनुरोध**

उपर्युक्त यूनिट को 17 जुलाई, 2004 को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओए 23 जून, 2019 तक वैध है।

यूनिट ने फर्म की साझेदारी में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मौजूदा / नए साझेदारों की शेयर होल्डिंग का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

यूनिट के अनुमोदन के समय साझेदार / शेयर होल्डिंग		संशोधित साझेदार / शेयर होल्डिंग	
साझेदार का नाम	शेयर का प्रतिशत	साझेदार का नाम	शेयर का प्रतिशत
श्री सुभाष अग्रवाल	50 प्रतिशत	श्री सुभाष अग्रवाल	10 प्रतिशत
श्रीमती बीना अग्रवाल	25 प्रतिशत	श्री रमेश चंद प्रजापति	45 प्रतिशत
श्री अनुराग अग्रवाल	25 प्रतिशत	श्रीमती कमला प्रजापति	45 प्रतिशत

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की

एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 90 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि यूनिट ने 2010-11 से 2014-15 तक कोई निर्यात नहीं किया है और 2014-15 के दौरान केवल एक निर्यात किया जिसका मूल्य 0.74 लाख रुपए था।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की है। तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवहारत: नियम 74ए में उल्लिखित अंतरण की कसौटियों को पूरा किए बगैर यूनिट का अंतरण (शेयर होल्डिंग का 90 प्रतिशत अंतरण) है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xv) कंपनी के निदेशकों एवं शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स सिंफोनी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर एच-119, एसईजेड 2, सीतापुर, जयपुर की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 11 अगस्त, 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था तथा क्रियाशील है। एलओए 06 अप्रैल, 2020 तक वैध है।

यूनिट ने निदेशकों में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा यह भी सूचित किया है कि कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन हो गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	मौजूदा	संशोधित
1.	श्री दयाराम खंचनदानी	55000 (4.23 प्रतिशत)	--
2.	श्री कन्हैया लाल खंचनदानी	--	--
3.	श्री श्याम खंचनदानी	455000 (35 प्रतिशत)	--
4.	श्री नितिन खंचनदानी	790000 (60.76 प्रतिशत)	--
5.	श्री हर्षित सोनी (1 अक्टूबर 2015 से)	--	1000000 (76.92 प्रतिशत)
6.	श्रीमती इंदु मायच (1 अक्टूबर 2015 से)	--	300000 (23.07 प्रतिशत)
	कुल	1300000 (100 प्रतिशत)	1300000 (100 प्रतिशत)

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड

यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 90 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xvi) प्लाट नंबर टीजेड-06, सेक्टर टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस में न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के निर्माण की समय सीमा बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एसईजेड को 29 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया। एसईजेड मार्च 22 अप्रैल, 2014 से क्रियाशील है। इस समय एसईजेड में दो यूनिटें अर्थात (1) विद्या मंत्र एजुसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और (2) हनु साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड प्रचालन कर रही हैं।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5 (7) के अनुसार, विकासक या सह विकासक को एसईजेड की अधिसूचना की तिथि से 10 साल की अवधि के अंदर न्यूनतम निर्मित क्षेत्र (100000 वर्गमीटर) का निर्माण करना होगा जिसमें ऐसे क्षेत्र का कम से कम 50 प्रतिशत का निर्माण अधिसूचना की तिथि से 5 साल की अवधि के अंदर करना होगा। वर्तमान मामले में एसईजेड की अधिसूचना के बाद 10 साल की अवधि 28 अगस्त 2016 को समाप्त हो चुकी है तथा एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 15000 वर्गमीटर (165000 वर्गफीट) के निर्मित क्षेत्र का निर्माण किया गया है।

विकासक एवं सह विकासक ने निवेदन किया है कि 28 अगस्त 2016 के बाद 3 साल की अतिरिक्त अवधि प्रदान करके उनको न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाए। विलंब के कारण इस प्रकार हैं :

(i) जीएनआईडीए ने विकासक के लिए 75 एकड़ भूमि आवंटित की है तथा 10 फरवरी 2006 को 90 साल के लिए पट्टा विलेख निष्पादित किया गया। इसके बाद विकासक ने आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के पास आवेदन किया तथा 29 अगस्त 2006 को एसईजेड अधिसूचित किया गया।

(ii) उत्तर प्रदेश सरकार तथा जीएनआईडीए के निदेशक मंडल ने जीएनआईडीए प्राधिकरण तथा विकासक के बीच निष्पादित पूरक विलेख 2009 को मान्यता प्रदान की तथा इसके बाद 11 फरवरी 2009 को निर्माण कार्य शुरू हुआ।

(iii) लंबी दूरी, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के पूर्ण अभाव के साथ रिमोट लोकेशन, किसी बस्ती के बगैर निर्जन क्षेत्र में सुरक्षा के लिए गंभीर संकट, आसपास में मूवमेंट के अभाव, 2009-10 के दौरान आईटी उद्योग में वैश्विक आर्थिक मंदी आदि के कारण परियोजना के विकास में विलंब हुआ। इसके अलावा वित्तीय संस्थाएं परियोजना के विकास के लिए विकासक को निर्माण ऋण संस्वीकृत करने का पक्षधर नहीं थी।

(iv) जीएनआईडीए द्वारा भूमि के अधिग्रहण के संबंध में किसानों के हिंसक आंदोलन के कारण साइट पर निर्माण कार्य प्रभावित हुआ तथा 21 नवंबर 2012 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्टे आर्डर के बाद ही मुद्दे का समाधान हुआ तथा इसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 24 अगस्त 2012 को क्लियर किया गया।

(v) इसके अलावा पट्टाकर्ता (जीएनआईडीए), पट्टाधारक (मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड) तथा उप पट्टाधारक (अर्थ आईकॉनिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) के बीच त्रिपक्षीय उप पट्टा विलेख निष्पादित किया गया जिसके माध्यम से अपेक्षित क्षेत्र का निर्माण करने के लिए पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि से 5 साल की अवधि अर्थात 30 अप्रैल 2018 तक का समय प्रदान किया गया। सह विकासक ने जीएनआईडीए को अपना लेआउट प्लान / बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत किया तथा लगातार अनुरोध करने के बाद अनुमोदन जीएनआईडीए द्वारा प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया।

अवसंरचना विकास :

(i) जीएनआईडीए से भवन प्लान की संस्वीकृति / अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विकासक ने आईटी 1ए में सिग्नेचर टावर में 15000 वर्गमीटर का निर्माण किया है। इसके बाद विकासक ने मौजूदा साइट पर 9824.55 वर्गमीटर के अतिरिक्त क्षेत्रफल के निर्माण के लिए जीएनआईडीए को भवन प्लान प्रस्तुत किया जो जीएनआईडीए द्वारा 20 अक्टूबर 2015 को अनुमोदित किया गया।

(ii) विकासक ने 25 करोड़ रुपए का ऋण संस्वीकृत करने के लिए वित्तीय संस्थाओं / बैंकों के पास आवेदन भी किया है जो अगस्त 2016 के मध्य तक संस्वीकृत हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद अतिरिक्त क्षेत्रफल का निर्माण 2017 के मध्य तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

31 मई 2016 तक की स्थिति के अनुसार परियोजना में निवेश :

(i) 31 मई 2016 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी भूमि अधिग्रहण, अवसंरचना विकास तथा निर्मित क्षेत्र के लिए 133.30 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है।

सह विकासक द्वारा विकास की गतिविधियां

वाणिजय विभाग ने पत्र दिनांक 17 जुलाई 2012 के माध्यम से मैसर्स अर्थ आइकॉनिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 50000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल का निर्माण करने के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान किया है और इसके बाद सह विकासक ने विकासक और जीएनआईडीए के साथ 1 मई 2013 को त्रिपक्षीय उप पट्टा विलेख निष्पादित किया है। इसके अलावा जीएनआईडीए के प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त साइट के विकास के लिए सह विकासक को 5 साल का समय प्रदान किया गया है, तथापि उपर्युक्त कार्य में विलंब किस लिए हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के खनन विभाग से अनुमोदन 7 नवंबर 2014 और 18 दिसंबर 2014 को प्राप्त हुआ।

विकासक एवं सह विकासक ने निवेदन किया है कि 28 अगस्त 2016 के बाद 3 साल की अतिरिक्त अवधि प्रदान करके उनको न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाए। विकासक ने परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के लिए उपर्युक्त कारणों का हवाला दिया है। तथापि, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हाल की प्रगति और विकास की गतिविधियों अर्थात मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी को देखते हुए विकासक उपर्युक्त साइट का विकास और आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकास कार्य शुरू करना चाहता है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन समिति ने पाया कि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5 (7) के अनुसार निर्माण कार्य 5 या 10 साल की अवधि के अंदर पूरा नहीं हुआ है तथा न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के निर्माण को पूरा करने के लिए एसईजेड अधिनियम / नियमावली में कोई समर्थकारी प्रावधान नहीं है। मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ भेजा गया।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने बताया है कि :

(i) यदि 50 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं हुआ है तो 5 साल बाद, और यदि 100 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं हुआ है तो 10 साल बाद वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के लिए एसईजेड नियमावली में उपयुक्त प्रावधान शामिल किया जा सकता है।

(ii) ऐसे समर्थकारी प्रावधान के बाद इस अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xvii) सैंडल वुड की अतिरिक्त मदों के विनिर्माण के लिए प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स एमएमजी इंपेक्स जो एमईपीजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

सैंडलवुड के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए उपर्युक्त यूनिट को 6 जून, 2012 को एलओपी प्रदान किया गया था। यह प्रस्ताव निम्नलिखित मदों के विनिर्माण के लिए 8 नवंबर 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 60वीं बैठक के समक्ष आया था :

(i) सैंडलवुड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट
(ii) सैंडलवुड मशीन मेड प्रोडक्ट
(iii) सैंडलवुड चिप्स (प्रति नग 50 ग्राम तक)
(iv) सैंडलवुड पाउडर / डस्ट
(v) सैंडलवुड फ्लेक / स्क्रैप / वेस्ट

तथापि, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की थी।

पुन: यूनिट ने पत्र दिनांक 30 दिसंबर 2013 के माध्यम से मैसर्स साईं ललित फ्रैगरेंस के समान प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए वाणिज्य विभाग के पास आवेदन किया, जिसे 11 अगस्त 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 35वीं बैठक द्वारा समान उत्पादों के विनिर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। 18 सितंबर, 2014 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 63वीं बैठक में मामले पर विचार किया गया। "विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सैंडल वुड के मशीन फिनिश्ड उत्पादों (आईटीसी (एचएस) कोड 44090000) तथा सैंडल वुड के फिनिश्ड हस्तशिल्प उत्पादों (आईटीसी (एचएस) कोड 44200000) के संबंध में निर्यात यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।"

उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त 2009 को आयोजित 35वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स साईं लेथ फ्रैगरेंस जो एमईपीजेड एसईजेड में समान यूनिट है, के संबंध में देशज रूप में प्राप्त किए गए सैंडल वुड से मशीन फिनिश्ड सैंडल वुड, चिप्स, डस्ट एवं पाउडर के विनिर्माण के लिए ब्राड बैंडिंग को मंजूरी प्रदान की थी। विकास आयुक्त, एमईपीजेड को प्रापण के स्रोत को प्रमाणित करने का भी निदेश दिया गया ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि फर्म द्वारा किसी कोंट्राबैंड सैंडलवुड का प्रयोग नहीं किया जाता है।

अब यूनिट ने निम्नलिखित 3 मदों के लिए पुनर्विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुन: अनुरोध किया है।

(क) सैंडलवुड चिप्स (प्रति नग 50 ग्राम तक)
(ख) सैंडलवुड पाउडर / डस्ट
(ग) सैंडलवुड फ्लेक / स्क्रैप / वेस्ट

यह प्रस्ताव 23 फरवरी 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक के समक्ष आया था। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सैंडलवुड के हैंडीक्राफ्ट उत्पादों तथा सैंडलवुड के मशीन निर्मित उत्पादों के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है जो प्रतिबंधित मदें हैं। इसके अलावा अनुमोदन बोर्ड ने (1) सैंडलवुड चिप्स (50 ग्राम प्रति नग तक) (2) सैंडलवुड पाउडर / डस्ट और (3) सैंडलवुड फ्लेक / स्क्रैप / अपशिष्ट के निर्माण की अनुमति नहीं दी है क्योंकि ये निषिद्ध मदें हैं। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एमईपीजेड को निषिद्ध मदों पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा डीजीएफटी से रिपोर्टें प्राप्त करने का भी निदेश दिया।

अब पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26 मई 2016 और 21 जुलाई 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि वर्ष 2012 से पूर्व सैंडलवुड के संबंध में प्रविष्टियां एग्जिम नीति के क्रमांक 148 से 153 पर थी, जो वर्तमान एग्जिम नीति में क्रमांक 182 से 187 पर संदर्भित हैं। यह भी बताया गया है कि मशीन निर्मित सैंडलवुड के उत्पादों के निर्माण के बाद वुड स्क्रैप / अपशिष्ट से प्राप्त उत्पाद अर्थात सैंडलवुड के डस्ट, फ्लेक, छोटे नग तथा सैंडलवुड के बिलेट के क्रैक्ड अंश से निर्मित पाउडर, मशीन निर्मित चिप्स (प्रत्येक नग का वजन 50 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए) पर अध्याय 44 के क्रमांक 187 अर्थात सैंडलवुड के अन्य रूपों के तहत विचार किया जा सकता है जैसा कि निर्यात और आयात के लिए आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत निर्दिष्ट है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा डीजीएफटी से प्राप्त रिपोर्टों (अनुबंध 1) के आलोक में विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड ने निम्नलिखित मदों के निर्माण एवं निर्यात के लिए ब्राड बैंडिंग के तहत अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ संदर्भित किया है :

(क) प्रति नग 50 ग्राम तक के मशीन फिनिश्ड सैंडलवुड चिप्स
(ख) मशीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान सृजित 50 ग्राम तक के सैंडलवुड अपशिष्ट
(ग) मशीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान सृजित सैंडलवुड के डस्ट, पाउडर।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xviii) सैंडलवुड ऑयल और चिप्स को शामिल करने के लिए मैसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट हाउस का प्रस्ताव

उपर्युक्त यूनिट को ब्रास आर्ट वेयर, एल्युमिनियम आर्ट वेयर, मेटल, ग्लास, टेक्सटाइल, लेदर, सैंडलवुड तथा इसके ऑयल एवं चिप्स सहित सभी प्रकार के वुडन आइटम्स के निर्माण एवं निर्यात के लिए **19** सितंबर **2014** को

एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने अपने पहले कंसाइनमेंट का निर्यात करके **20** जनवरी, **2016** से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है।

यूनिट ने सैंडलवुड चिप्स (50 ग्राम या कम), सैंडलवुड ऑयल, सैंडलवुड बीड (माला के लिए विभिन्न आकार के) और सैंडलवुड की हाथ से निर्मित अन्य वस्तुओं के रूप में मदों को शामिल करके निर्माण की मदों ब्राड बैंडिंग में सैंडलवुड ऑयल और चिप्स को शामिल करने का अनुरोध किया है।

यूनिट ने बताया है कि वह सरकारी नीलामी को छोड़कर भारतीय बाजार से सैंडलवुड का प्रापण नहीं करेगी तथा उन्होंने विदेशी बाजारों से सैंडलवुड का आयात करने एवं विदेशी क्रेताओं को सभी मेडअप एवं वेस्टेज का वापस निर्यात करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने अपने आवेदन में यह भी बताया है कि भारत से निर्यात के लिए ये मदें अनुमत हैं।

आईटीसी एचएस वर्गीकरण के लिए निर्यात नीति के अनुसार नोट किया गया है कि सैंडलवुड ऑयल के निर्मित हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को छोड़कर किसी रूप में सैंडलवुड निर्यात के लिए निषिद्ध है तथा इसके निर्यात की अनुमति नहीं है। मात्रा से संबंधित सीलिंग के अधीन तथा समय समय पर डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित शर्तों के अधीन सैंडलवुड ऑयल का स्वतंत्र रूप से निर्यात किया जा सकता है। नीतिगत प्रावधान के अनुसार हैंडीक्राफ्ट सैंडलवुड की मदें, मशीन निर्मित सैंडलवुड की मदें तथा सैंडलवुड ऑयल का निर्यात करने की अनुमति है परंतु किसी अन्य रूप में सैंडलवुड का निर्यात भारत से बाहर नहीं किया जा सकता है।

व्यवसाय योजना, अब तक किए गए निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई अवधि के बाद वृद्धिमूलक निवेश का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत किया गया है :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	शून्य
2.	निर्माण की लागत	शून्य
3.	प्लांट एवं मशीनरी	शून्य
4.	अन्य ऊपरी खर्च	शून्य
	कुल	शून्य

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा वृद्धिमूलक निवेश

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	0.45	लागू नहीं
2.	सामग्री का प्रापण	0.70	0.00
3.	सेवा लागत	0.09	0.00
4.	अन्य ऊपरी खर्च	0.014	0.00
	कुल	1.25	0.00

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	क्र. सं.	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.	सिविल वर्क पूरा हो गया है	**100** प्रतिशत	**80** प्रतिशत	लागू नहीं

विकास आयुक्त, एनएसईजेड की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

(i) डीजीएफटी से परामर्श करके वाणिज्य विभाग उपर्युक्त मदों की निर्यात नीति को स्पष्ट कर सकता है।
(ii) यदि मद निर्यात के लिए निषिद्ध है तो निषिद्ध मद के संबंध में यह कार्यालय प्रस्ताव की सिफारिश नहीं करता है।
(iii) यदि मद निर्यात के लिए निषिद्ध नहीं है तो यह कार्यालय प्रस्ताव की सिफारिश करता है।
(iv) सैंडलवुड ऑयल के संबंध में डीजीएफटी से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि क्या डीजीएफटी द्वारा मात्रा संबंधी कोई सीलिंग लगाई गई है अथवा नहीं और क्या मात्रात्मक सीलिंग एसईजेड से निर्यात पर लागू होगी या नहीं।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 73.6 : औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना

एसईजेड नियमावली के नियम 6(2) (क) के अनुसार, औपचारिक अनुमोदन तीन साल की अवधि के लिए वैध होता है तथा इस समय तक कम से कम 1 यूनिट द्वारा उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए तथा ऐसे उत्पादन के आरंभ होने की तिथि से एसईजेड क्रियाशील हो जाना चाहिए। इस नियम के परंतुक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रावधान है जिसके लिए विकासक संबंधित विकास आयुक्त को फार्म सी1 में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा जो 15 दिन के अंदर इसे अपनी टिप्पणियों के साथ अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करेगा।

निम्नलिखित मामलों में वाणिज्य विभाग द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, चूंकि विकासक द्वारा कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की गई है इसलिए विकास आयुक्त ने विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने का प्रस्ताव किया है। मामले का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	**विकासक / सह विकासक का नाम**	**क्षेत्र**	**औपचारिक अनुमोदन की तारीख**	**क्षेत्र**	**अभ्युक्तियां**
1.	मैसर्स बालाजी इनफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (दिघी पोर्ट, रायगढ़)	एफटीडब्ल्यूजेड को शामिल करते हुए बहु उत्पाद	23 अक्टूबर 2006	एसईईपीजेड	विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अक्टूबर, 2014 को समाप्त हो गई है। विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की अवधि समाप्त होने पर 5वीं बार समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव

					प्रस्तुत किया था। तथापि, आवेदन की जांच करने पर अनेक विसंगतियां पाई गईं। विकास आयुक्त ने पत्र दिनांक 7 जुलाई 2015 और 6 नवंबर 2015 के माध्यम से विकासक से महाराष्ट्र सरकार से एनओसी के संबंध में विसंगतियों को दूर करने तथा यह स्पष्ट करने के लिए अनुरोध किया था कि क्या गट नंबर 55, 58, 65, 73 और 74 के तहत भूमि पर विकासक का पूर्ण कब्जा है और गट नंबर 40, 47, 58, 65, 73 और 74 वन भूमि है और वन से भिन्न प्रयोग के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता है तथा यह अनुमति प्राप्त कर ली गई है या नहीं। उनसे एसईजेड का सेक्टर एफटीडब्ल्यूजेड सहित बहु उत्पाद एसईजेड से बदलकर पोर्ट आधारित एफटीडब्ल्यूजेड करने के लिए परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था। तथापि, उन्होंने आज तक इसका जवाब नहीं दिया है। विकासक को पत्र दिनांक 12 मई 2016 जारी किया गया जिसमें अनुमोदन बोर्ड के औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की सूचना प्रदान की गई जिसके संबंध में विकासक ने निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निवेदन किया जो 7 जून 2016 को प्रदान किया गया। तथापि, विकासक न तो निजी सुनवाई के लिए आया और न ही इसके लिए कोई कारण बताया। विकासक को उसके अनुरोध पर 26 जुलाई 2016 को निजी सुनवाई का एक और अवसर प्रदान किया गया। विकासक लगातार दूसरी निजी सुनवाई के लिए नहीं आया। उपयुक्त अवसर प्रदान करने के बाद भी एसईजेड के कार्यान्वयन में विकासक की पर्याप्त रुचि नहीं है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने का प्रस्ताव किया है।

मद संख्या 73.7 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 अगस्त, 2015 के विरुद्ध मैसर्स मोजेर बियर इंडिया लिमिटेड (एसईजेड पावर प्लांट यूनिट) जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

विद्युत के उत्पादन में शामिल यूनिट को एलओए संख्या 1/03/2009-प्रोजेक्ट/6842 दिनांक 8 अक्टूबर 2009 जारी किया गया और फिर उसे 4 दिसंबर 2014 को नवीकृत किया गया, जिसका उपभोग कैप्टिव है तथा

एमबीआईएल एसईजेड के अंदर अन्य एसईजेड यूनिटों को भी आपूर्ति की जाती है। यूनिट ने पत्र दिनांक 22 मार्च 2016 के माध्यम से मैसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड (एमबीआईएल) के गैर परंपरागत ऊर्जा एसईजेड में प्लाट नंबर 66 बी, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा में पावर प्लांट यूनिट स्थापित करने के लिए नया एलओए जारी किरने के लिए आवेदन किया। इसे 01 अप्रैल, 2016 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में रखा गया था।

समुचित विचार विमर्श के बाद विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पत्र दिनांक 18 अप्रैल 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि समिति ने सर्वसम्मति से महसूस किया कि यूनिट को नया एलओए जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनुमोदन समिति उक्त विद्युत उत्पादन यूनिट को मंजूरी प्रदान कर चुकी है। इसके अलावा समिति ने नोट किया कि वाणिज्य विभाग द्वारा पत्र संख्या 6/3/2006-एसईजेड दिनांक 26 अप्रैल 2015 के माध्यम से बहाल किए गए पिछले विद्युत दिशानिर्देश दिनांक 27 फरवरी 2009 के अनुसार यूनिट को 1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 की अवधि के दौरान प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभ अनुमत नहीं किए गए तथा निदेश दिया कि यूनिट से इसकी वसूली करने की आवश्यकता है। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अब यूनिट वाणिज्य विभाग द्वारा पत्र संख्या पी6/3/2006-एसईजेड (खंड 3) दिनांक 16 फरवरी 2016 के माध्यम से जारी किए गए नए विद्युत दिशानिर्देश के पैरा 3 के तहत प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभ के लिए पात्र होगी तथा इसके लिए यह शर्त होगी कि ईओयू को विद्युत के अंतरण के लिए कोई ड्यूटी फ्री लाभ अनुमत नहीं होगा। इसके अलावा समिति ने सूचित किया कि यूनिट को इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए विद्युत दिशानिर्देश दिनांक 16 फरवरी 2016 के पैरा 3 के अनुसरण में एलओए संख्या 1/03/2009-प्रोजेक्ट/6842 दिनांक 8 अक्टूबर 2009 के तहत यूनिट के रूप में जारी रखने की अनुमति होगी :

(i) यूनिट इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिन की अवधि के अंदर 1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 की अवधि के लिए विद्युत संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए आयातित तथा डीटीए से प्राप्त की गई सामग्री पर ड्यूटी परित्याग के रूप में 1,55,76,751 रुपए की राशि लौटाएगी।
(ii) वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए विद्युत दिशानिर्देश दिनांक 16 फरवरी 2016 का पालन किया जाएगा;
(iii) ईओयू को विद्युत के अंतरण के लिए कोई ड्यूटी फ्री लाभ अनुमत नहीं होगा;
(iv) एलओए दिनांक 8 अक्टूबर 2009 की सभी अन्य शर्तों एवं निबंधनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा;
(v) उपर्युक्त पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिन के अंदर नया / अतिरिक्त बांड सह एलयूटी निष्पादित किया जाएगा और उपर्युक्त शर्तों एवं नियमों के स्वीकार होने की पुष्टि की जाएगी।

उपर्युक्त आदेश से व्यथित अपीलकर्ता ने माननीय अनुमोदन बोर्ड से प्रार्थना की कि 1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 की अवधि के दौरान यूनिट पर लागू प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभ को एसईजेड अधिनियम, नियमावली तथा विनियम एवं संगत विद्युत दिशानिर्देशों के तहत अनुमत किया जा सकता है तथा ईओयू को विद्युत के अंतरण के लिए ड्यूटी फ्री लाभ एसईजेड अधिनियम, नियमावली तथा विनियम एवं संगत विद्युत दिशानिर्देशों के तहत ग्राह्य हैं।

12 अगस्त, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 72वीं बैठक में प्रस्ताव रखा गया था। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने अपील आस्थगित कर दी क्योंकि इसके लिए विद्युत दिशानिर्देशों के संबंध में अंतर्मंत्रालयी परामर्श की आवश्यकता है।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-2) दाखिल की है।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति, सीएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 **मई** 2016 **के विरुद्ध मैसर्स विकास टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड** (**वीटीपीएल**) **जो एंबेसी टेक विलेज, बंगलौर में विकास टेलीकॉम एसईजेड का विकासक है, की अपील**

मैसर्स विकास टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (वीटीपीएल) को बंगलौर पूर्व तालुक में आईटी / आईटीईएस सेक्टर के लिए एसईजेड स्थापित करने के लिए एलओए दिनांक 7 अप्रैल 2006 के माध्यम से मंजूरी प्रदान की गई थी। वीटीपीएल एंबेसी टेक विलेज, बंगलौर में विकास टेलीकॉम एसईजेड का विकासक है। विकासक ने पत्र दिनांक 7 मार्च 2016 के माध्यम से फार्म एफ में भरे गए आवेदन के साथ विकास आयुक्त, सीएसईजेड से संशोधित विद्युत दिशानिर्देश दिनांक 16 फरवरी 2016 के अनुसरण में विकास टेलीकॉम एसईजेड के अंदर यूनिट के रूप में बैकअप पावर की सुविधा संचालित करने के लिए अनुरोध किया है। मैसर्स वीटीपीएल ने 1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 तक की अवधि के दौरान बैकअप सुविधा के संचालन के लिए डीजल की खरीद पर पहले प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभ के लिए लंबित एआरई1 की निर्मुक्ति के लिए स्पष्ट अनुदेशों के साथ दिशानिर्देश 2009 के तहत 1 अप्रैल 2015 से एसईजेड यूनिट के रूप में बैकअप पावर की सुविधा (डीजी सेट) संचालित करने का भी अनुरोध किया।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने पत्र दिनांक 07 मार्च 2016 (अनुबंध 3) के माध्यम से आवेदक के अनुरोध की सिफारिश नहीं की है। विकास आयुक्त के आदेश के विपरीत आवेदक ने बताया है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मूलत: 27 फरवरी 2009 को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विद्युत के उत्पादन, वितरण एवं पारेषण के लिए विद्युत दिशानिर्देश (दिशानिर्देश 2009) जारी किया था।

- 21 मार्च 2012 को जारी किए गए दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश 2012) द्वारा उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अधिक्रमण किया गया।
- इसके बाद दिशानिर्देश 2012 वापस ले लिया गया और 1 अप्रैल 2015 से दिशानिर्देश 2009 को वापस प्रभावी किया गया (15 फरवरी 2016 तक)।
- तथापि, 16 फरवरी 2016 से संशोधित विद्युत दिशानिर्देश (दिशानिर्देश 2016) जारी किए गए हैं जो इस समय लागू हैं।

दिशानिर्देश 2009 तथा दिशानिर्देश 2016 दोनों आईटी / आईटीईएस एसईजेड विकासक को यूनिट के रूप में एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर विद्युत का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा यह प्रावधान करते हैं कि ऐसे विद्युत संयंत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 (एसईजेड अधिनियम) की धारा 26 के तहत शामिल सभी राजकोषीय लाभों के लिए हकदार होंगे जिसमें शुरुआती स्थापना, अनुरक्षण तथा विद्युत के उत्पादन के लिए कच्चे माल और उपभोज्य वस्तुओं के ड्यूटी फ्री आयात के लिए लाभ शामिल हैं। पूंजी माल, कच्चा माल तथा उपभोज्य वस्तुओं के ऐसे ड्यूटी फ्री आयात को यूनिट की एनएफई बाध्यता में शामिल नहीं किया जाएगा।

ये यूनिटें विद्युत के उत्पादन के लिए पूंजी माल, कच्चा माल तथा उपभोज्य वस्तुओं का ड्यूटी फ्री आयात करेंगी तथा पूंजी माल, कच्चा माल तथा उपभोज्य वस्तुओं के ऐसे ड्यूटी फ्री आयात को यूनिट की एनएफई बाध्यता में शामिल नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा विद्युत दिशानिर्देश 2016 के अनुसार :

"(iv) आईटी / आईटीईएस एसईजेड जिन्हें अच्छी बिजली की निरंतर आवश्यकता होती है, के संबंध में, जहां भी विकासक / सह विकासक को प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विद्युत का उत्पादन अनुमोदित

किया गया है और जिसके संबंध में एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5ए के अनुसरण में एसईजेड में स्थिर बारंबारता पर अच्छी बिजली की 24 घंटे अबाध आपूर्ति के लिए विकासक / सह विकासक पर सांविधिक बाध्यता है, ऐसे मामले में विद्युत का उत्पादन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर यूनिट के रूप में किया जाएगा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा पावर प्लांट सहित ऐसा पावर प्लांट एसईजेड अधिनियम की धारा 26 के तहत शामिल सभी राजकोषीय लाभों के लिए हकदार होगा जिसमें विद्युत के उत्पादन के लिए आरंभिक स्थापना, अनुरक्षण तथा कच्चा माल एवं उपभोज्य वस्तुओं के ड्यूटी फ्री आयात के लिए लाभ शामिल हैं। पूंजी माल, कच्चा माल तथा उपभोज्य वस्तुओं के ऐसे ड्यूटी फ्री आयात को यूनिट की एनएफई बाध्यता में शामिल नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त के आधार पर वीटीपीएल ने दिशानिर्देश 2009 (1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 की अवधि के लिए) और दिशानिर्देश 2016 (वर्तमान में 16 फरवरी 2016 से प्रभावी) दोनों के तहत एसईजेड यूनिट के रूप में एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में लगाए गए डीजी सेट के प्रचालन के लिए अनुरोध किया है। मैसर्स वीटीपीएल ने 1 अप्रैल 2015 से वीटीपीएल विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर एसईजेड यूनिट के रूप में डीजी सेट अर्थात बैकअप पावर की सुविधा संचालित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए फार्म एफ में आवेदन किया है।

तथापि, यूनिट अनुमोदन समिति ने 9 मई 2016 से केवल दिशानिर्देश 2016 के तहत एसईजेड यूनिट को अनुमोदन प्रदान किया है।

i) अपीलकर्ता ने अनुरोध किया है कि दिशानिर्देश 2009 (जो 1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 की अवधि के लिए प्रभावी था)। क्योंकि इस अवधि के लिए एसईजेड यूनिट के लाइसेंस को नकारा नहीं जा सकता है।

ii) दिशानिर्देश 2009 के तहत एसईजेड यूनिट के आवेदन को नकारना वीटीपीएल पर थोपी गई सांविधिक बाध्यता के खिलाफ है।

iii) दिशानिर्देश 2009 के तहत एसईजेड यूनिट के अनुमोदन को नकारना एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के तहत प्रदान किए गए सारवान लाभों की मनाही में परिणत होगा।

12 अगस्त, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 72वीं बैठक में प्रस्ताव रखा गया था। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने अपील आस्थगित कर दी क्योंकि इसके लिए विद्युत दिशानिर्देशों के संबंध में अंतर्मंत्रालयी परामर्श की आवश्यकता है।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-4) दाखिल की है।

(iii) यूनिट अनुमोदन समिति, सीएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 मई 2016 के विरुद्ध मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) जो नगवारा, बंगलौर में मान्यता एंबेसी बिजनेस पार्क एसईजेड का विकासक है, की अपील

मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) जो नगवारा, बंगलौर में मान्यता एंबेसी बिजनेस पार्क एसईजेड का विकासक है, को एलओए दिनांक 16 जून 2006 के माध्यम से नगवारा, बंगलौर में आईटी / आईटीईएस सेक्टर के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक ने पत्र दिनांक 7 मार्च 2016 के माध्यम से फार्म एफ में भरे गए आवेदन के साथ विकास आयुक्त, सीएसईजेड से संशोधित विद्युत दिशानिर्देश दिनांक 16 फरवरी 2016 के अनुसरण में मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) के अंदर यूनिट के रूप में बैकअप पावर की सुविधा संचालित करने के लिए अनुरोध किया है। मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) ने 1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 तक की अवधि के दौरान बैकअप सुविधा के संचालन के

लिए डीजल की खरीद पर पहले प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभ के लिए लंबित एआरई1 की निर्मुक्ति के लिए स्पष्ट अनुदेशों के साथ दिशानिर्देश 2009 के तहत 1 अप्रैल 2015 से एसईजेड यूनिट के रूप में बैकअप पावर की सुविधा (डीजी सेट) संचालित करने का भी अनुरोध किया।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने पत्र दिनांक 07 मार्च 2016 (अनुबंध 5) के माध्यम से आवेदक के अनुरोध की सिफारिश नहीं की है। विकास आयुक्त के आदेश के विपरीत आवेदक ने बताया है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मूलत: 27 फरवरी 2009 को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विद्युत के उत्पादन, वितरण एवं पारेषण के लिए विद्युत दिशानिर्देश (दिशानिर्देश 2009) जारी किया था।

- 21 मार्च 2012 को जारी किए गए दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश 2012) द्वारा उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अधिक्रमण किया गया।
- इसके बाद दिशानिर्देश 2012 वापस ले लिया गया और 1 अप्रैल 2015 से दिशानिर्देश 2009 को वापस प्रभावी किया गया (15 फरवरी 2016 तक)।
- तथापि, 16 फरवरी 2016 से संशोधित विद्युत दिशानिर्देश (दिशानिर्देश 2016) जारी किए गए हैं जो इस समय लागू हैं।

दिशानिर्देश 2009 तथा दिशानिर्देश 2016 दोनों आईटी / आईटीईएस एसईजेड विकासक को यूनिट के रूप में एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर विद्युत का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा यह प्रावधान करते हैं कि ऐसे विद्युत संयंत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 (एसईजेड अधिनियम) की धारा 26 के तहत शामिल सभी राजकोषीय लाभों के लिए हकदार होंगे जिसमें शुरुआती स्थापना, अनुरक्षण तथा विद्युत के उत्पादन के लिए कच्चे माल और उपभोज्य वस्तुओं के ड्यूटी फ्री आयात के लिए लाभ शामिल हैं। पूंजी माल, कच्चा माल तथा उपभोज्य वस्तुओं के ऐसे ड्यूटी फ्री आयात को यूनिट की एनएफई बाध्यता में शामिल नहीं किया जाएगा।

ये यूनिटें विद्युत के उत्पादन के लिए पूंजी माल, कच्चा माल तथा उपभोज्य वस्तुओं का ड्यूटी फ्री आयात करेंगी तथा पूंजी माल, कच्चा माल तथा उपभोज्य वस्तुओं के ऐसे ड्यूटी फ्री आयात को यूनिट की एनएफई बाध्यता में शामिल नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा विद्युत दिशानिर्देश 2016 के अनुसार :

"(iv) आईटी / आईटीईएस एसईजेड जिन्हें अच्छी बिजली की निरंतर आवश्यकता होती है, के संबंध में, जहां भी विकासक / सह विकासक को प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विद्युत का उत्पादन अनुमोदित किया गया है और जिसके संबंध में एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5ए के अनुसरण में एसईजेड में स्थिर बारंबारता पर अच्छी बिजली की 24 घंटे अबाध आपूर्ति के लिए विकासक / सह विकासक पर सांविधिक बाध्यता है, ऐसे मामले में विद्युत का उत्पादन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर यूनिट के रूप में किया जाएगा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा पावर प्लांट सहित ऐसा पावर प्लांट एसईजेड अधिनियम की धारा 26 के तहत शामिल सभी राजकोषीय लाभों के लिए हकदार होगा जिसमें विद्युत के उत्पादन के लिए आरंभिक स्थापना, अनुरक्षण तथा कच्चा माल एवं उपभोज्य वस्तुओं के ड्यूटी फ्री आयात के लिए लाभ शामिल हैं। पूंजी माल, कच्चा माल तथा उपभोज्य वस्तुओं के ऐसे ड्यूटी फ्री आयात को यूनिट की एनएफई बाध्यता में शामिल नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त के आधार पर मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) ने दिशानिर्देश 2009 (1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 की अवधि के लिए) और दिशानिर्देश 2016 (वर्तमान में 16 फरवरी 2016 से प्रभावी) दोनों के तहत एसईजेड यूनिट के रूप में एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में लगाए गए डीजी सेट के प्रचालन के लिए अनुरोध किया है। मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) ने 1 अप्रैल 2015 से मैसर्स मान्यता

प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) के अंदर एसईजेड यूनिट के रूप में डीजी सेट अर्थात बैकअप पावर की सुविधा संचालित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए फार्म एफ में आवेदन किया है।

तथापि, यूनिट अनुमोदन समिति ने 9 मई 2016 से केवल दिशानिर्देश 2016 के तहत एसईजेड यूनिट को अनुमोदन प्रदान किया है।

i) अपीलकर्ता ने अनुरोध किया है कि दिशानिर्देश 2009 (जो 1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 की अवधि के लिए प्रभावी था)। क्योंकि इस अवधि के लिए एसईजेड यूनिट के लाइसेंस को नकारा नहीं जा सकता है।

ii) दिशानिर्देश 2009 के तहत एसईजेड यूनिट के आवेदन को नकारना मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) पर थोपी गई सांविधिक बाध्यता के खिलाफ है।

iii) दिशानिर्देश 2009 के तहत एसईजेड यूनिट के अनुमोदन को नकारना एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के तहत प्रदान किए गए सारवान लाभों की मनाही में परिणत होगा।

12 अगस्त, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 72वीं बैठक में प्रस्ताव रखा गया था। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने अपील आस्थगित कर दी क्योंकि इसके लिए विद्युत दिशानिर्देशों के संबंध में अंतर्मंत्रालयी परामर्श की आवश्यकता है।
अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 6) दाखिल की है।

(iv) विकासक आयुक्त, एनएसईजेड / यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक 23 फरवरी 2016 के विरुद्ध मैसर्स मोर्गन टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (एमटीएल) की अपील

यह अपील विकास आयुक्त, एनएसईजेड / यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक 23 फरवरी 2016 के विरुद्ध एसईजेड नियमावली 2016 के नियम 55 के तहत मैसर्स मोर्गन टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (एमटीएल) से है। 28 अप्रैल, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 70वीं बैठक में उपर्युक्त अपील रखी गई थी। अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि अपीलकर्ता को भौतिक निर्यात तथा व्यापार की गतिविधि के लिए अलग अलग आंकड़ों के संबंध में एक सप्ताह के अंदर एनएफई के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

तद्नुसार मैसर्स मोर्गन टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने 4 मई 2016 को विवरण / इनपुट प्रस्तुत किया था (अनुबंध 7) और उसे वाणिज्य विभाग के मेल दिनांक 13 मई 2016 के माध्यम से विकास आयुक्त, एनएसईजेड को अग्रेषित किया गया ताकि वे भौतिक निर्यात / डीटीए बिक्री / एनएफई के संबंध में मैसर्स मोर्गन टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन कर सकें।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पत्र दिनांक 2 जून 2016 के माध्यम से बताया है कि मैसर्स मोर्गन टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड से विकास आयुक्त का कार्यालय, एनएसईजेड द्वारा यथानिर्धारित फार्मेट में यूनिट द्वारा भौतिक निर्यात तथा डीटीए बिक्री का ब्यौरा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया ताकि सही एनएफई की गणना की जा सके। तथापि, मैसर्स मोर्गन टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने पत्र दिनांक 4 मई 2016 के माध्यम से आयात, निर्यात और डीटीए बिक्री का ब्यौरा प्रस्तुत किया है परंतु यह निर्धारित फार्मेट में नहीं है और यह कि मैसर्स मोर्गन टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने बताया था कि राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली द्वारा उनके रिकार्ड जब्त कर लिए गए हैं और जब रिकार्ड उनको वापस मिल जाएंगे तो वे ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे। नियम 53 (एन) के तहत उनके द्वारा किए गए समवत निर्यात के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया। एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 53 (एन) के प्रावधानों के अनुसार :

"डीटीए के विदेशी मुद्रा अर्जन खाते से विदेशी मुद्रा में या विदेश से प्राप्त फ्री विदेशी मुद्रा में भुगतान के विरुद्ध डीटीए को माल की आपूर्ति"।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने यह भी बताया है कि चूंकि यूनिट ने उक्त दस्तावेज अर्थात डीटीए क्रेता के ईईएफसी खाता या विदेश से प्राप्त फ्री विदेशी मुद्रा का ब्यौरा प्रदान नहीं किया है इसलिए एनएफई का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा ईईएफसी खाता से या विदेशी क्रेता से प्राप्त भुगतान का ब्यौरा सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से होना चाहिए तथा यह यूनिट द्वारा प्रदान किया जा सकता है। अत: यूनिट का यह प्रतिवाद कि वे ईईएफसी खाता आदि का ब्यौरा इसलिए प्रदान नहीं कर सकते हैं कि इसे राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा जब्त कर लिया गया है, असमर्थनीय है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने यह भी बताया है कि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 22 (2) के अनुसार, व्यापार एवं विनिर्माण दोनों गतिविधियों में शामिल यूनिट को व्यापार एवं निर्माण की गतिविधियों के लिए अलग अलग रिकार्ड रखने होते हैं, जबकि मैसर्स एमटीएल ने आयात / निर्यात का कंसाइनमेंटवार ब्यौरा प्रदान नहीं किया है। अत: निर्माण एवं व्यापार की गतिविधियों के लिए अलग अलग एनएफई की सही स्थिति का सुनिश्चय करना संभव नहीं है। इसके अलावा एसईजेड नियमावली **2006** के नियम **27 (10)** के अनुसार, किसी यूनिट द्वारा आयात का आकलन स्वयं घोषणा के आधार पर होगा, न कि नेमी जांच के अधीन होगा। अत: आयात के लिए स्वीकृति स्वयं घोषणा के आधार पर और एसईजेड यूनिट पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह सही घोषणा प्रदान करे और सही लदान बिल दाखिल करे। तथापि, यूनिट ने लगातार नियम का उल्लंघन किया और लदान बिल में लगातार गलत घोषणा की।

इसके अलावा सूचित किया जाता है कि कस्टम, एनएसईजेड के रिकार्डों के अनुसार यूनिट ने वर्ष 2012-13 में 11,17,93,278 रुपए मूल्य के 100 प्रतिशत विस्कोस वुलेन शाल वुमन एंड तथा लेदर गारमेंट का निर्यात किया था, वर्ष 2013-14 में 122400 रुपए मूल्य के वुडन फ्रेम के लकड़ी के दरवाजों का निर्यात किया गया तथा वर्ष 2014-15 के दौरान 1108058 रुपए मूल्य के टैबलेट पीसी टीआर 10सीएस1 ईसीएसयूएसए का निर्यात किया गया। यूनिट के मुख्य अधिकृत प्रचालनों में व्यापार की गतिविधियों के साथ उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर की वस्तुओं का निर्माण करना शामिल है। यूनिट ने डीटीए क्लियरेंस भी किया है जिसे समवत निर्यात के रूप में दावा किया गया है, जिसका मूल्य वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान क्रमश: 104.96 लाख रुप, 6144.46 लाख रुपए और 4850.97 लाख रुपए है जिसे यूनिट द्वारा एनएफई अर्जन की गणना में शामिल किया गया है। तथापि, डीटीए क्रेता के ईईएफसी खाता से भुगतान की प्राप्ति या फ्री विदेशी मुद्रा में विदेशी क्रेताओं से प्राप्त भुगतान के ब्यौरे के संबंध में पत्र दिनांक 9 मार्च 2016, 30 मार्च 2016 और 25 अप्रैल 2016 के माध्यम से इस कार्यालय द्वारा मांगी गई सूचना प्राप्त न होने के कारण यूनिट द्वारा प्राप्त एनएफई अर्जन की सही मात्रा का पता लगाना संभव नहीं है।

इसके अलावा भौतिक निर्यात एवं डीटीए बिक्री के उपर्युक्त ब्यौरों की जांच करने के बाद पता चला कि डाटा पूर्ण नहीं है। राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा रिकार्डों का जब्त किया जाना आयात / निर्यात का कंसाइनमेंटवार ब्यौरा प्रदान न करने का पर्याप्त कारण नहीं है तथा एनएसईजेड के कस्टम विभाग से सूचना / स्पष्टीकरण मांगा गया। वाणिज्य विभाग के पत्र दिनांक 17 जून 2016 के संबंध में विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पत्र दिनांक 21 जून 2016 के माध्यम से मैसर्स मोर्गन टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (एमटीएल) द्वारा किए गए आयात एवं निर्यात के संबंध में पिछले तीन वर्षों (2012-13 से 2014-15) के लिए डाटा प्रस्तुत किया गया है, जो एनएसईजेड, कस्टम द्वारा उपलब्ध कराया गया है जो अनुबंध 8 के रूप में संलग्न है। इसके बाद नोट किया गया कि 'ऐसा प्रतीत होता है कि यूनिट अनुमोदन समिति का निर्णय नियमों के

लगातार उल्लंघन पर तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड से पिछले 5 वर्षों में कंपनी के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए था।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि मैसर्स एमटीएल के एलओए को निरस्त करने का निर्णय नियमों के लगातार उल्लंघन के आधान पर है, जबकि विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा पंजीकृत / सूचित मामलों के ब्यौरे से किसी सिद्ध मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

तथापि यह समझाया गया कि फर्म संभवत: अपने आयात की मात्रा का बीजक में कम उल्लेख कर रही है और एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 27 (10) के तहत उपलब्ध आयात की स्वयं घोषणा के प्रावधान का लाभ उठा रही है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

****